

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक : 100 / प्र0अ0(त0स0-2) / जोन-1 / मु0हा0 / 2014-15 दिनांक 06/07/2015

अनुमति—पत्र

यह अनुमति उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर समूह आवास (अफोडेबुल) मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री शिलादित्य सिंह, श्री सौम्याशील सिंह पुत्रगण स्व0 गिरीश नारायन सिंह, श्रीमती सुधा सिंह पुत्री स्व0 गिरीश नारायन सिंह व पत्नी श्री आनन्द प्रकाश सिंह, शेफाली सिंह पुत्री स्व0 गिरीश नारायन सिंह द्वारा बंगला नं0-15ए (पुराना), 20/19ए (न्यू) सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद के जोन संख्या (1) के अन्तर्गत समूह आवास (अफोडेबुल हाउस) भवन के निर्माण की अनुमति हेतु दाखिल मानचित्र की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय के स्वीकृति/निर्गमन आदेश दिनांक 02-07-2015 के द्वारा निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
4. स्थल पर 14 वृक्ष लगाना होगा तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक/रेजीडेन्ट वेलफेयर सोसायटी का होगा।
5. रेनवाटर हार्वेस्टिंग का कार्य मानक के अनुसार पूर्ण कराकर भू-गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
6. सोलर वाटर हीटिंग संयंत्र की स्थापना आवश्यक होगी, जिसका संयोजन किचन, बाथरूम में अनिवार्य रूप से किया जाय।
7. स्थल पर आन्तरिक विकास कार्य प्रस्तावना के अनुसार पूर्ण करते हुए पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, इस हेतु प्रस्तुत व्ययानुमान में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो उसका भुगतान आवेदक को वहन करना होगा।
8. उ0प्र0 अपार्टमेंट एक्ट 2010 एवं रूल्स 2011 का अक्षरशः पालन करना होगा।
9. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, इलाहाबाद की अनापत्ति पत्र दिनांक 29.04.2015 में अंकित प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा। (छायाप्रति संलग्न)
10. अवस्थापना सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर निगम इलाहाबाद की अनापत्ति स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु नगर निगम से जो भी वित्तीय/देयता निर्धारित की जाती है तो उसका भुगतान बाध्यकारी होगा तथा अन्य जो भी प्रतिबन्ध आरोपित किये जायेंगे उसका अक्षरशः अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

11. मुख्य अभियन्ता-विद्युत की अनापत्ति स्वीकृत मानचित्र प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर उपलब्ध कराने का दायित्व आवेदक का होगा। मुख्य अभियन्ता-विद्युत की अनापत्ति में जो भी नियम एवं शर्तें आरोपित की जायेंगी उसका अक्षरशः अनुपालन दिये गये शपथ पत्र दिनांक 17.06.2015 (59AC 326307) के अनुसार बाध्यकारी होगा।
12. प्रस्तुत मानचित्र 48 आवासीय इकाईयों के निर्माण की अनुमति हेतु है, अतिरिक्त इकाईयों का निर्माण पूर्णतया निषिद्ध होगा।
13. परिसर में स्ट्रीट लाईट सोलर पैनल द्वारा प्रज्ज्वलित की जाय।
14. भवन का निर्माण कार्य भूकम्परोधी मानको के अनुरूप ही किया जाना बाध्यकारी है तथा निर्माण पूर्ण होने पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2012 के निर्धारित प्रारूप पर आर्किटेक्ट/स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण-पत्र इस आशय का दिया जाना बाध्यकारी होगा कि बहुमंजिले भवन का निर्माण भूकम्परोधी मानको के अनुरूप ही किया गया है।
15. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
16. विभिन्न समय पर जारी शासनादेश व नियमों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई शुल्क आरोपित करता है तो उसे पक्ष को जमा करना होगा।
17. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
18. यह स्वीकृत पत्र केवल पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
19. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्वामी तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, में कर देगा।
20. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
21. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
22. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

(पुष्कर श्रीवास्तव)

OSD/प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)